संख्याः 1224/VII-2/493–खादी/2007

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोजनागत पक्ष के खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजना हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 4740/उ0नि0(दो)–32/2007–08 दिनांक 25 फरवरी, 2008 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 2026सी/ऊन अनु0/4/1/57/उ0खा0ग्रा0बो0/2007–08 दिनांक 03 मार्च, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजनान्तर्गत धागा बैंक के विकास हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदान के द्वारा व्यवस्थित रू0 1,00,00,000/–(रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– उक्त योजना हेतु इस प्रकार की कार्य योजना बनायी जायेगी कि उक्त धनराशि एक निधि के रूप में हो जिसका रिवाल्विंग फण्ड बनाया जाय और शासकीय अनुदान का कुछ भाग का उपयोग आवश्यक उपकरण/वस्तुओं के क्रय हेतु किया जाय और एक भाग निधि में राजस्व आय हेतु रखा जाय। निधि की आय से ही बाद में उक्त योजना को चालू रखी जाय ताकि आवर्तक सहायता की आवश्यकता न हो।

5– शासनादेश की शर्तो का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

6– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई उपकरण/फर्नीचर अथवा कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामग्री आदि का क्रय किया जाता है तो क्रय किये जाने वाली सामग्री का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जाय अथवा टैण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

7– कम्प्यूटर क्रय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड के दिशा–निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि रोजगार से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों का कियान्वयन शासन/बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों व मानकों के अधीन किया जा रहा है।

9– स्वतः रोजगार योजनाओं हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित किया जाये एवं इसी के अनुरूप चयन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। लाभार्थियों के चयन के उपरान्त यथासम्भव एक माह के भीतर अनुदान की धनराशि का भुगतान सुनिश्चत किया जाये। अनुदान के भुगतान में किसी भी दशा में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 105–खादी ग्रामोद्योग, 03–खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता योजना–00, 20–सहायक अनुदान/ अशंदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 357/XXVII(2)/2008, दिनांकः 25 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1224(1)/VII-2/493–खादी/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।